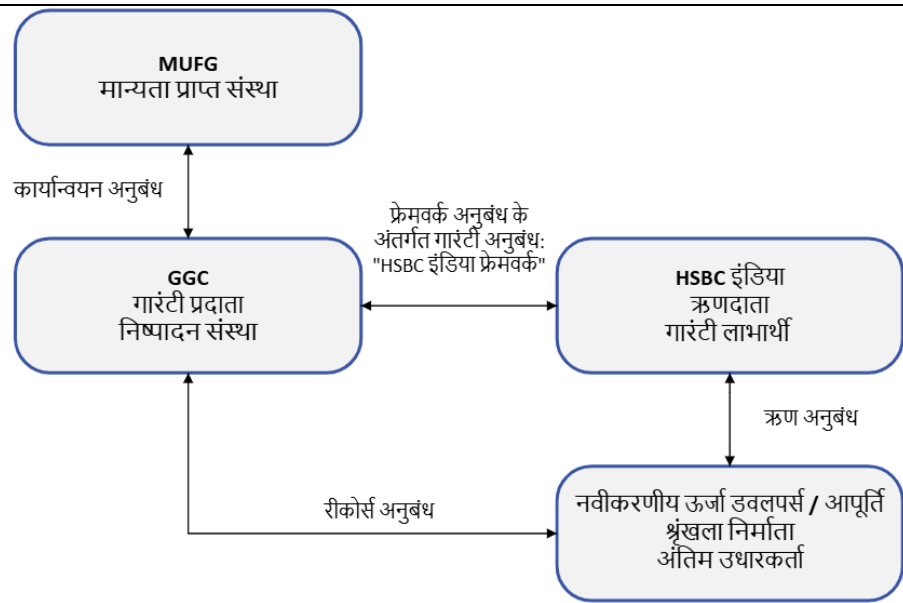


# उप-परियोजना प्रकटीकरण सारांश

उप-परियोजना शीर्षक: HSBC इंडिया फ्रेमवर्क

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ए | गतिविधियों का उद्देश्य, प्रकृति और पैमाना, तथा इच्छित लाभार्थी | <p><b>पृष्ठभूमि</b></p> <p>भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि गैर-जीवाश्म क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी नवीकरणीय बिजली उत्पादन एक चुनौती बनी हुई है। 2024 में लगभग 75% बिजली जीवाश्म ईंधन स्रोतों, मुख्यतः कोयले से उत्पन्न की जाएगी। ऊर्जा मांग में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए, भारत को 2030 NDC लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान नवीकरणीय क्षमता को दोगुना से अधिक करने की आवश्यकता होगी।</p> <p><b>उप-परियोजना का विवरण</b></p> <p>यह उप-परियोजना Green Guarantee Company (GGC) और HSBC इंडिया के बीच एक फ्रेमवर्क स्थापित करती है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला लेनदेन के लिए HSBC इंडिया द्वारा दिए गए पात्र ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। यह HSBC इंडिया फ्रेमवर्क ('फ्रेमवर्क') समझौता मानक शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित करके HSBC इंडिया के ऋण की गारंटी के लिए GGC की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है।</p> <p>इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, GGC 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की गारंटी प्रदान करेगा, जिसमें प्रति लेनदेन अधिकतम 50 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा। पात्र ऋण नवीकरणीय ऊर्जा डवलपर्स या आपूर्ति श्रृंखला निर्माताओं के लिए होना चाहिए, और आय को GGC की गारंटी नीति में पात्रता मानदंड और बहिष्करण सूची का अनुपालन करना चाहिए।</p> <p>गारंटी से ऋणदाता के रूप में HSBC इंडिया के लिए ऋण जोखिम कम हो जाएगा। यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला उधारकर्ता ('अंतिम उधारकर्ता') भुगतान करने में विफल रहता है, तो GGC HSBC इंडिया को देय बकाया राशि को कवर करेगा। नीचे दिया गया चित्र प्रस्तावित उप-परियोजना संरचना और इसमें शामिल संस्थाओं के बीच संबंध को दर्शाता है।</p> |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### **E&S जोखिम वर्गीकरण**

इस फ्रेमवर्क के लिए निर्दिष्ट जोखिम श्रेणी, श्रेणी I-2 है, क्योंकि गारंटी का लाभार्थी एक वित्तीय मध्यस्थ (HSBC इंडिया) है, जो उन लेनदेन को ऋण देता है जो GGC गारंटी नीति और बहिष्करण सूची के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेन-देन में नवीकरणीय/स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण, जैसे पवन/सौर फार्म, बैटरी भंडारण परियोजना, सौर मॉड्यूल/सेल विनिर्माण सुविधाओं का कार्यान्वयन और संचालन शामिल होगा। लेनदेन का आकार 35-100 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच है (ध्यान दें कि GGC प्रति लेनदेन केवल 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की गारंटी प्रदान करेगी)।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रस्तावित लेन-देन में ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होने की संभावना है, जिनमें संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम हों, तथा प्रभावों की संख्या कम हों, आम तौर पर स्थल-विशिष्ट हों, अधिकांश तौर पर प्रतिवर्ती हों, तथा शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संभाल जा सकें। उन लेनदेन को श्रेणी बी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की आशा है। जोखिम श्रेणी ए लेनदेन को इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है और GGC संभावित लेनदेन की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह स्थिति बनी रहे।

**HSBC इंडिया फ्रेमवर्क को नियंत्रित करने वाला ESMS**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>HSBC नीतियां और GGC ESMS इस फ्रेमवर्क पर लागू होंगी। HSBC नीतियों के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सामान्यतः GGC ESMS के अनुरूप हैं - HSBC इंडिया फ्रेमवर्क में E&amp;S यथोचित परिश्रम/जांच में मूल्यांकन के निष्कर्षों को देखें। HSBC इक्वेटर सिद्धांतों (अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के प्रदर्शन मानकों द्वारा समर्थित) का हस्ताक्षरकर्ता है और GCF मान्यता प्रक्रिया से गुजर चुका है। इस फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन चरण में, जहां GGC और HSBC की आवश्यकताओं में अंतर होगा, वहां अधिक कठोर आवश्यकताएं लागू की जाएंगी।</p> <p>इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत संभावित प्रकार के लेनदेनों से संबंधित सांकेतिक E&amp;S जोखिमों को भी HSBC इंडिया फ्रेमवर्क में E&amp;S यथोचित परिश्रम/जांच में शामिल किया गया है।</p> <p><b><u>लेनदेन स्क्रीनिंग प्रक्रिया</u></b></p> <p>HSBC E&amp;S जोखिम प्रबंधन प्रणाली में अनुमोदन के कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, जोखिम प्रबंधक इक्वेटर सिद्धांतों, HSBC नीतियों और कार्यवाही और बहिष्करण सूचियों के फ्रेमवर्क योग्य उपयोग के दायरे के साथ लेनदेन के संरेखण की जांच करेगा। लेन-देन को यथोचित परिश्रम/जांच चरण में आगे बढ़ाने से पहले वरिष्ठ नेतृत्व से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अंतिम उधारकर्ता को ESIA, ESMP और ESMS प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसका उपयोग जोखिम प्रबंधक अनुपालन अनुमोदन के अगले चरण के लिए EP के अनुपालन का आकलन करने और स्वतंत्र आंतरिक समीक्षक द्वारा अनुवर्ती ऑडिट के लिए करेगा।</p> <p>GGC HSBC E&amp;S जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के समानांतर, उसी लेनदेन की E&amp;S यथोचित परिश्रम/जांच भी करेगी। व्यक्तिगत लेनदेन के यथोचित परिश्रम/जांच के दौरान पहचाने गए किसी भी अंतराल और उनके अनुरूप सुधारात्मक कार्रवाइयों को ESAP का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाएगा, जो GGC ESMS में प्रारूप के साथ संरेखित होगा। GGC, HSBC इंडिया के साथ मिलकर उन लेनदेनों के अंतिम उधारकर्ताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई की पहचान करेगा। गारंटी प्रदान करने से पहले लेनदेन को GGC प्रभाव और क्रेडिट समितियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।</p> <p>उच्च जोखिम वाले श्रेणी आ लेनदेन के लिए, HSBC EP विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा लेनदेन की निगरानी की जाएगी। लेनदेन पर पर्यावरणीय व सामाजिक</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

यथोचित परिश्रम/जांच (ESDD) करने और उसे तैयार करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय व सामाजिक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी

नीचे दिया गया प्रवाह आरेख यह रेखांकित करता है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के लिए प्रभाव और E&S जोखिमों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा:

**HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन चयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए सांकेतिक प्रक्रिया**

उधारकर्ता HSBC नीतियों के अनुसार HSBC इंडिया को दस्तावेज प्रस्तुत करता है (इसमें ESIA, ESMS, ESMP शामिल हैं)

HSBC इंडिया फ्रेमवर्क की शर्तों के अनुपालन की जांच करता है (जिसमें आय का पात्र उपयोग, श्रेणी ए नहीं, आकार, उधारकर्ता का प्रकार, बहिष्करण सूची का अनुपालन शामिल है)। यदि उपयुक्त हो, तो GGC के साथ दस्तावेज साझा करें।

GGC, GGC ESMS के अनुसार यथोचित परिश्रम/जांच करता है। अंतरों की पहचान करता है। उच्च जोखिम वाली श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए, स्वतंत्र ESDD को शामिल करें।

GGC प्रभाव एवं ऋण समितियों से लेनदेन की मंजूरी मांगता है।

GGC किसी भी E&S अंतराल को अंतिम रूप देता है और HSBC इंडिया के माध्यम से उधारकर्ता के लिए समेकित MRV रणनीति व ESMP में योगदान देता है।

यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो GGC फ्रेमवर्क के तहत पूर्व-सहमत शर्तों का उपयोग करते हुए HSBC इंडिया को गारंटी जारी करता है।

HSBC इंडिया ढांचा समझौते में परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार E&S और गारंटीकृत लेनदेन के प्रभाव पर GGC को सूचना देता है (जैसे, प्रभाव KPI, ESAP प्रगति पर त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग)

### फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन के उदाहरण

फ्रेमवर्क की शर्तों पर सहमति हो जाने के बाद विशिष्ट लेनदेन की पहचान की जाएगी। फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले पात्र अंतिम उधारकर्ताओं के उदाहरण नीचे देखें:

- **कंपनी ए:** मुंबई स्थित सौर PV मॉड्यूल की बड़ी निर्माता कंपनी, जिसकी विनिर्माण सुविधाएं पूरे भारत में कई स्थानों पर हैं। कंपनी ए ने अपने प्रभाव उद्देश्यों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया है और ESG नीतियों का एक समूह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है जिसमें ESG नीति, ESH नीति, निष्पक्ष श्रम व्यवहार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति आदि शामिल हैं।
- **कंपनी बी:** भारत में ग्रिड पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा डवलपर। कंपनी का ESG फ्रेमवर्क GRI मानकों, UN SDG, SASB, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र महिला सशक्तिकरण सिद्धांतों, IFC मानकों, इक्वेटर सिद्धांतों और TCFD. का संदर्भ देता है। यह तीन-स्तरीय ESG शासन संरचना का उपयोग करता है, जिसमें बोर्ड ESG, स्थिरता और CSR प्रतिबद्धताओं की देखरेख करता है, एक संचालन समिति प्रदर्शन और नियामक संरेखण की निगरानी करती है, और एक कार्य समूह डेटा संकलन और पहल निष्पादन का प्रबंधन करता है।
- **कंपनी सी:** भारत में बड़ी PV मॉड्यूल निर्माता, जिसकी उपस्थिति ग्लोबल है और भारत में बड़ी संख्या में EPC परियोजनाएं हैं। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट और विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल द्वारा समर्थित, कंपनी के पास एक व्यापक ESG फ्रेमवर्क और एकीकृत गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (QEOHS) नीति है।

ऋण जोखिम को कम करने और ऋण शर्तों में सुधार करके, ये गारंटी भारत भर में नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को पूंजी के अधिक उपयोग में सक्षम बनाएगी।

इस फ्रेमवर्क के माध्यम से समर्थित लेनदेन GCF ऊर्जा उत्पादन और पहुंच शमन परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत भारत के ऊर्जा क्षेत्र के GHG उत्सर्जन को कम करने में योगदान देंगे। यह पहल राष्ट्रीय विनिर्माण क्षमता को मजबूत करके, रोजगार सृजन को समर्थन देकर, तथा भारत के निम्न-कार्बन विकास पथ पर संक्रमण को गति देकर घरेलू स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बी | प्रस्तावित गतिविधियों की अवधि                                   | 3 वर्ष होने की आशा है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सी | हितधारक परामर्श और नियोजित हितधारक सहभागिता प्रक्रिया का सारांश | <p>क्योंकि इस स्तर पर विशिष्ट लेनदेन पाइप लाइन की पहचान अभी तक नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हितधारक परामर्श किया गया है। <a href="#">GGC के GCF वित्तपोषण ऐप्लिकेशन</a> के एक हिस्से के रूप में, GGC ने भारत के लिए एक देश व्यापार योजना को सूचित करने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी विभागों, नियामकों, देश में उत्पत्ति भागीदारों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया। इन परामर्शों में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड के बुनियादी फ्रेमवर्क में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता की पहचान की गई। इसमें सौर मॉड्यूल के एकीकृत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 से 4 वर्षों में 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता की भी पहचान की गई।</p> <p>इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, अंतिम उधारकर्ता (नवीकरणीय ऊर्जा डवलपर्स और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला निर्माताओं सहित) प्रमुख हितधारकों में से एक हैं। उपरोक्त उदाहरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतिम उधारकर्ता बड़ी कम्पनियां होंगी जिनके कार्यालय भारत के प्रमुख शहरों में हैं तथा जो अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करती हैं। इसलिए, इस फ्रेमवर्क का अंग्रेजी भाषा में प्रकटीकरण पर्याप्त होने की उम्मीद है।</p> <p>व्यक्तिगत लेनदेन के आधार पर, अंतिम उधारकर्ता द्वारा GGC ESMS आवश्यकताओं और HSBC नीतियों के अनुसार हितधारक परामर्श किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इन परामर्शों के ऐसे तरीके और भाषा में होने की आशा है जो हितधारकों और स्थानीय समुदायों के लिए उपयुक्त हों, जो लेनदेन द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों के स्थान पर निर्भर करेगा।</p> <p>इक्वेटर सिद्धांतों (EP) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में HSBC से सिद्धांत 5 के साथ संरेखित होने की अपेक्षा की जाती है, जिसके तहत अंतिम उधारकर्ताओं को सभी संबंधित हितधारकों के साथ संरचित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से हितधारक जुड़ाव करने की आवश्यकता होती है। हितधारक सहभागिता और प्रक्रिया का विवरण फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के अंतिम उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजीकरण का हिस्सा होगा।</p> |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 | GGC अपनी समिति अनुमोदन प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उधारकर्ता की हितधारक सहभागिता योजना और परिणाम की समीक्षा करेगी तथा E&S कार्य योजना में किसी भी कमी के बारे में अंतिम उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| डी | प्रभावित और संभावित रूप से प्रभावित समुदायों, समूहों और व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करने और उनके समाधान की सुविधा के लिए उपलब्ध शिकायत तंत्र | <p>भारत में HSBC की एक शिकायत निवारण नीति है, जो एक संरचित शिकायत निवारण फ्रेमवर्क के माध्यम से हितधारकों से प्राप्त शिकायतों से निपटने के प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित करती है।</p> <p><a href="#">प्रतिक्रिया और शिकायतें   सहायता और सपोर्ट - HSBC IN</a></p> <p>शिकायत निवारण तंत्र का होना EP के सिद्धांत 6 के अनुरूप है।</p> <p>जहां उपयुक्त होगा, अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा लेनदेन स्तर पर पृथक शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा। अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा GGC (HSBC इंडिया के माध्यम से) को शिकायतों या प्रमुख घटनाओं की सूचना GGC ESMS के अनुसार होगी और फ्रेमवर्क के भीतर शर्तों के रूप में निर्धारित की जाएगी।</p> |

## अनुलग्नक

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ए  | उप-परियोजना प्रकटीकरण प्रारूप                                                                                                                                                                             | शामिल। कृपया प्रस्तुत दस्तावेज देखें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बी | प्रासंगिक उप-परियोजना के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA)                                                                                                                                     | E&S यथोचित परिश्रम/जांच (ESDD) ESIA के विपरीत, फ्रेमवर्क को नियंत्रित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं पर अधिक उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया और सूचना तंत्र है। कृपया नीचे दिए गए URL का संदर्भ लें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सी | जहां लागू हो, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP), यदि ESIA से अलग हो                                                                                                                              | फ्रेमवर्क E&S यथोचित परिश्रम/जांच के बाद पहचाने गए अंतराल को E&S कार्य योजना में दर्ज किया जाता है, जिसे यथोचित परिश्रम दस्तावेज में शामिल किया जाता है (नीचे दिए गए लिंक को देखें)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| डी | जहां लागू हो, पर्यावरण और सामाजिक यथोचित परिश्रम/जांच (ESDD) प्रतिवेदन                                                                                                                                    | ESDD प्रतिवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें।<br><a href="https://www.mufgemea.com/green-climate-fund-projects/green-guarantee-company/">https://www.mufgemea.com/green-climate-fund-projects/green-guarantee-company/</a><br>प्रासंगिक दस्तावेज निम्नलिखित हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HSBC India Framework E&amp;S Due Diligence (English)</a></li> <li>• HSBC इंडिया फ्रेमवर्क E&amp;S यथोचित परिश्रम/जांच (हिन्दी) - <a href="#">HSBC India Framework E&amp;S Due Diligence (Hindi)</a></li> </ul> |
| ई  | जहां लागू हो, संबंधित उप-परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और/या पुनर्वास कार्य योजना (LARAP)                                                                                                                 | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एफ | जहां लागू हो, प्रासंगिक उप-परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (IPP)                                                                                                                                   | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जी | DGG की सार्वजनिक सूचना नीति और GCF की संशोधित पर्यावरणीय और सामाजिक नीति और GCF सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुसार प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक स्वदेशी लोगों से संबंधित जानकारी सहित कोई अन्य संबद्ध जानकारी | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

